

11/6/14

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3,  
SUB-SECTION (II)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF REVENUE  
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES  
NOTIFICATION  
INCOME-TAX

New Delhi, the 11<sup>th</sup> June, 2014

S.O. (E)- In exercise of the powers conferred by clause (v) of the Explanation to section 48 of the Income-tax Act, 1961 (42 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O.-709(E), dated the 20<sup>th</sup> August, 1998, namely:-

2. In the said notification, in the Table, after serial number 33 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Financial Year	Cost Inflation Index
(1)	(2)	(3)
"34	2014-15	1024"

[Notification No. 31 /2014/F.No.142/3/2014-TPL]

  
[Ashis Mohanty]

Under secretary to Government of India.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), vide number S.O.709(E), dated the 20<sup>th</sup> August, 1998 and lastly amended vide number S.O.1464 (E), dated the 6<sup>th</sup> June, 2013.

Ms. Reddy  
11/6/14

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

**अधिसूचना**  
**आय-कर**

नई दिल्ली, तारीख 11 जून, 2014

का.आ. .... (अ)-- केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 42) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 709(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक
(1)	(2)	(3)
"34	2014-15	1024"

[अधिसूचना सं. 31... /2014/फा.सं. 142/3/2014-टीपीएल]

*आशीष मोहंती*

(आशीष मोहंती)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 709(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सं० का.आ. 1464(अ), तारीख 6 जून, 2013 द्वारा किया गया ।